EDGE CRUSH TEST OF NOT...

18-5-16 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी~~/ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित~~ है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/~~अवकाश पर हैं~~/अन्य ~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...13-5-16... को पेश हो। जवाब पेश किया ... 42 की ...

रीडर

3110-22
01-6-16

13-5-16 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/~~अवकाश पर हैं/अन्य~~ ~~कार्यों में व्यस्त ... हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...14-6-16 को मु० खेड़ा बाढ़ रामगढ़... को पेश हो।

रीडर

14-6-16 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प स्थान पुरबड़ौदा पर पेश हुई। वादी शब्बीर ~~...~~ पुत्र छोट्या उर्फ छोटे खां उपस्थित है। वादी ने राजीनामा पेश कर बताया है कि पक्षकारान की सहमति से अपनी वादग्रस्त भूमि का विभाजन तहसीलदार जी के यहां करवा लेंगे। वादी अपना दावा इसी आधार पर वापिस ले रहा हूं। अगर तहसील में हमारा विभाजन सहमति से नहीं होता है तो मुझे नया दावा पेश करने की छूट दी जावे।

वादी का प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार दावा निर्णीत किया जाता है व वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खेडाबाढरामगढ

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

शब्बीर पुत्र छोटे खॉ, मुसलमान निवासी जैतपुर हाल वासी वेयर हाउस कॉलोनी सवाई माधोपुर ––वादी

बनाम

1. जुम्मा पुत्र छोटे खॉ, मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. अययूब पुत्र छोटे खॉ, मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. साबिर पुत्र आमीन मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. जाकिर पुत्र आमीन मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. वाजिद अली पुत्र आमीन मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. साजिद पुत्र आमीन मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
7. अनीस पुत्र आमीन मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
8. इंसार पुत्र आमीन मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
9. मुमताज पत्नी आमीन मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
10. मुजाफिर हुसैन पुत्र निजाम खॉ मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
11. इस्लामुद्दीन पुत्र निजाम खॉ मुसलमान निवासी नागदा म0 प्र0
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 140/2015

वादी की ओर से वादी शब्बीर की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 14.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर पक्षकारो के मध्य राजीनामे के अनुसार पक्षकारान आपस मे सहमति से वादग्रस्त भूमि का विभाजन तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ कराने हेतु सहमत है। अतः वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है तथा सहमति से विभाजन नही होने की स्थिति मे वादी को नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

यह आज तारीख 14.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 अर्जी के लिए स्टाम्प 4 ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	